प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट९ भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
website: www.peb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा (ANMTST)-2020

(केवल लड़कियों के लिये)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : .09.01.2021	भरने की अंतिम तिथि : 23.01.2021
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : .09.01.2021	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : .28.01.2021
परीक्षा दिनांक व दिन : .	**15.02.2021 & 16.02.2021 सोमवार एवं मंगलवार**
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्तजन (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 200/-
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
15.02.2021 & 16.02.2021 सोमवार एवं मंगलवार	प्रथम	प्रात: 07:00 - 08:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 - 01:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:00 से 04:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई).UIDAI (के द्वारा सत्यापित)Verify (होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ईआधार कार-ड आधार कार्ड की / आधार / आधार नंबर / छायाप्रतिVID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीदवार .बी.ई.ा नहीं किया जाता हैं | अतकम्प्युटर आधारित : online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता)Eligibility(Provisional) पूर्णत प्रावधिक (होगी |

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in, ई-मेल : E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा (ANMTST) - 2020

(केवल लड़कियों के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के लिये विभागीय नियम	**03-11**
2.	**परिशिष्ट-अ**	आरक्षण प्रकोष्ठ	**12**
3.	**परिशिष्ट-ब**	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवम् शर्ते	**13**
4	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	**14-30**
5	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**31-32**
6	4	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	**33-41**
7	**प्रारूप-10**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वय की हस्तलिपी पत्रक	**42**

अध्याय-1

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम 2020-21

1.1 सामान्य

1.1.1 ये नियम राज्य के शासकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिखण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये कहलायेंगें ।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगें जो मध्य प्रदेश के विभिन्न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते है ।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में -

(i) राज्य शासन से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन ।

(ii) टेस्ट से तात्पर्य है ANM Training Selection Test (ANMTST) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा।

(iii) आयुक्त से तात्पर्य है आयुक्त (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) तथा उप संचालक से तात्पर्य है उप संचालक (प्री सर्विस एजुकेशन) स्वास्थ्य संचालनालय।

(iv) श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों क उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है।

1.2 सीटों का आरक्षण :

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमोलेयर को छोडकर) श्रेणियों के लिये क्रमश: प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 27% सीटों का आरक्षण किया गया हैं तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट-'अ'- में दिया गया है।

नोट -: अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।

चयन परीक्षा में ओपन केटेगरी एवं आशा कार्यकर्ता के लिये अतिरिक्त पदों पर आरक्षण की स्थिति में केटेगरी पृथक-पृथक एवं सीटों का आरक्षण अनारक्षित सीटों पर भी दिया जायेगा |

टिप्पणी :-

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणीमें आरक्षण का दावा कर सकता है।

(आ) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है,उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस परीक्षा की नियमपुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट:-प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहॉ-जहॉ प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियमपुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें|

1.2.1मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.)तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी- ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आबंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगें:-

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र ।

(ब)इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम यदि माता-पिता दोनों जीवित न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र ।

(स) विवाहित लडकी के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा ।

(द)यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार को प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमे प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।

(इ)आशा कार्यकर्ता को 03 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण पत्र खण्ड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा |

1.2.2अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोडकर- ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछडी जाति क्रीमीलेयर को छोडकर अन्य श्रेणी में होने का दावा करता है । उसे प्रवेश के समय अधिकारी द्वारा नियमपुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा|

1.2.3 क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनॉंक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.उब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ।

1.3प्रवेश हेतु पात्रता के शर्ते:-

1.3.1अधिवासी संबंधी आवश्यकताएॅं:-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:-

1. जो भारत का नागरिक हो|

(क) जिसने जिस वर्ष प्रवेश चाहा है ठीक पहले के 5 वर्ष के अवधि में मध्य प्रदेश में स्थित प्रशिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो|

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी हो|

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित की पुत्री हो:-

1. मध्य प्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्य प्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्य प्रदेश की संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी(निर्धारित प्रारूप देखे)|

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय, डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी2008को अथवा उसके पूर्व के तिथि तक मध्य प्रदेश में पदस्थ हो|

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो|

स्पष्टीकरण:- 1.मध्य प्रदेश का मूल निवासी- उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनो शर्तो **'अ'** एवं **'ब'** की पूर्ति करेगा|

अ. वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो|

अथवा

उम्मीदवार स्वयं,उसके पिता या माता,यदि पिता जीवित न हो अथवा यदि माता-पिता दोनो जीवित न हो तो उसका वेध अभिभावक परीक्षा के वर्ष से ठीक पहले कम से कम पॉच वर्ष से मध्य प्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा अचल सम्पत्ति रखता हो:

ब. उसने मध्य प्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया जिस में कक्षा एक से पूर्व शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी|

अथवा

उसने मध्य प्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 12 वीं प्रणाली की दसवीं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हों|

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश का मूलनिवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिऐं| इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने के तिथि कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है|

प्रवेश के समय अधिवासी संबंधी प्रमाण पत्र को दोनो शर्तो **'अ'** तथा **'ब'** के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगें|

स्पष्टीकरण:- 2. अभिभावक- किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित दंडाधिकारी की राय में उम्मीदवार के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उनकी अचल सम्पत्ति का दोनो का वास्तविक संरक्षक हो | अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी|

स्पष्टीकरण:- 3. दत्तक पुत्री**-** यदि कोई उम्मीदवार सामान्य अथवा किसी आरक्षित संवर्ग में दत्तक पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे उसे दत्तक पुत्री होने के संबंध में समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पॉच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा | दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसके संपुष्टि विघालय/ महाविघालय के अभिलेख अथवा गत पॉच वर्ष से उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है | इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेखों में दर्ज उम्मीदवार के केवल पिता का नाम ही मान्य होगा | इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की दत्तक उम्मीदवार के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसी उम्मीदवार गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही रही हो | ऐसी उम्मीदवार जो मूलत: अन्य जाति के हो तथा जिन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद ले लिया हो, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्रता नहीं होगी |

स्पष्टीकरण:-4. ए.एन.एम. (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) का पद मैदानी होने के कारण सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग म0प्र0 का राजपत्र दिनॉक 20/12/2019 के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (लोकोमेाटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलरडिस्ट्राफी) प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें |

1.3.2शैक्षणिक अर्हता:- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश के 10+2 प्रणाली के 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो |

नोट:- 11वीं हायर सेकेंडरी (पुरानी पद्धति) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पात्रता नहीं हैं |

अथवा

मध्य प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय सीबीएसई/आई.सी्.एस. ई. में 10+2 के कक्षा 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी |

1.3.2.1अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता:- प्रवेश परीक्षा में वे छात्रायें भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश के 10+2 पद्धति के 12वीं कक्षा एवं समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्राओं को अर्हकारी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश के पात्रता सिद्ध करनी होगी | पूरक (सप्लींमेंट्री) आने पर प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें |

1.3.3 आयुसीमा:- 01 जुलाई 2020 को उम्मीदवार के न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहियें | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं परित्याकता तथा विधवा के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष के छूट होगी |

1.3.4 स्पष्टीकरण:- आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल (10वीं) का प्रमाण – पत्र या इनकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा | अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा |

1.4 चयनप्रक्रिया:-

1.4.1महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण के चयन हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (ए.एन.एम.टी.एस.टी.) आयोजित की जावेगी | बोर्ड द्वारा इस परीक्षा के आधार पर केवल श्रेणीवार प्रावीण्यता सूची जारी की जावेगी | प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन संबंधी चयन प्रक्रिया **mponline** के माध्यम से की जावेगी |

नोट:-आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो प्रावीण्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी की सीटों के विरूद्ध गिना जावेगा, उन्हें अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी दोनो में दर्शाया जावेगा | ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन संबंधित आरक्षित श्रेणी में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा | ऐसे उम्मीदवारों को संख्या के बराबर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध स्थानों पर तथा अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रवेश उपलब्ध कराया जावेगा |

1.4.2इस परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया हैं | प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा | कुल अंक में प्राप्त अंकों का योग होगा |

1.4.3परिक्षार्थियों की प्रावीण्यता:- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी के प्रावीण्यता (मेरिट) उनको प्राप्त कुल प्राप्ताकों के आधार पर बनाई जावेगी |

1.4.4पारस्परिक वरीयता : प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मंडल द्वारा छात्राओं के विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रवार निर्धारित सीटों के मान से श्रेणी अनुसार मेरिट सूचियॉ बनायी जावेगी | यदि किसी उम्मीदवार के प्राप्तांक समान हैं तो मेरिट का निर्धारण उसकी जन्मतिथि के आधार पर किया जावें, अर्थात अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट क्रम में प्रथम रखा जावें।

1.4.5ओपन केटेगरी एवं आशा केटेगरी में पृथक- पृथक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों के विरूद्ध आरक्षित श्रेणी में आये अभ्यार्थियों को प्राथमिकता रहेगी।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया:-

1.5.1मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी /अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछडा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा । प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा । मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. ऑनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट:- प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउन्सलिंग नहीं की जावेगी।

प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा । मंडल स्तर से कुल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या के लिये निर्धारित 220 सीटों के प्रावीण्य सूची जिसमें अनारक्षित 110, अनुसूचित जाति 36, अनुसूचित जन जाति 44 एवं अन्य पिछडा वर्ग 30 के प्रावीण्य सूची उपलब्ध कराई जावेगी । इसी क्रम में श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची भी उपलब्ध कराई जावेगी । एम.पी. ऑनलाईन की काउन्सलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं श्रेणीवार सूची उपलब्ध कराई जावेगी।

खुली प्रतियोगिता तथा आशा कार्यकर्ता के श्रेणीवार सीटों के जानकारी निम्नानुसार हैं:-

सं .क्र.	श्रेणी	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता	कुल स्थान
		कुल स्थान	कुल स्थान	कुल स्थान
1	ई डब्ल्यू एस	22	-	22
2	अनारक्षित	44	16	60
3	अनुसूचित जन जाति	30	14	44
4	अनुसूचित जाति	28	8	36
5	अन्य पिछडा वर्ग	44	14	58
			कुल सीट	**220**

1.5.2 प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित अनिवार्य**:-**

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पूरे 08 प्रशिक्षण केन्द्रों में एक साथ प्रारम्भ किया जायेगा मेरिट के आधार पर चयिनत उम्मीदवारों को अपनी उपस्थिति संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगी । जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा । किसी कारणवश निर्धारित समय से प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जाती हैं तो **प्रक्रिया की सूचना बल्क एसएमएस से उम्मीदवारों** को सूचित किया जावेगा ।

नोट:-आवेदन फार्म में दर्ज मोबाईल नम्बर पर ही सम्पूर्ण प्रक्रिया/सूचना दी जावेगी। अत:प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक अभ्यर्थि अपना मोबाईल नम्बर नबदले ।

1.5.3 प्रमाण-पत्रों की सूची:- उम्मीदवारों को संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति देते समय अपने साथ निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य हैं अन्यथा उनको प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

1.10+2 प्रणाली के कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के अंकसूची प्रत्येक की एक**-** एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची ।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय के गई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित करा कर साथ में लावें ।

3. मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति ।

4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

5. पी.ई.बी. से जारी ए.एन.एम.टी.एस.टी. अंकसूची/ प्रवेश पत्र मूलत: एवं सत्यापित छायाप्रति ।

टिप्पणी:-

- **(i)** आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
- **(ii)** प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति प्रस्तुत करने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसलिंग में उपस्थित न हो।
- **(iii)** उपरोक्त में से किसी भी अभिलेख की कमी होने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।
- **(iv)** किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.5.4 प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को सीट का आवंटन:-नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों की बाद में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी एवं प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा जिसकी सूचना उन्हें विभागीय बेवसाईट **www.health.gov.in** के माध्यम से दी जावेगी। प्रतीक्षा सूची से चयिनत उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि में अपनी उपस्थिति संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त उम्मीदवारों को श्रेणीवार रिक्त सीट उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

15.5यात्रा भत्ता देय नहीं :-

उम्मीदवारों को परीक्षा एवं काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1.6 चयनोपरान्त पी.टी.एस. परीक्षा (प्रीलिमिरी ट्रेनिंग आफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य:

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 03 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रीलिमिरी ट्रेनिंग आफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 प्रशिक्षण के उपरांत 03 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवा:-

उम्मीदवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने पर विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रदान के जावेगी। जो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के अन्तर्गत रिक्त स्थान पर हो सकती है, एवं उम्मीदवार को इस नियुक्ति अनुसार शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रशिक्षण पूर्व किये गये अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय (छात्रवृत्ति सहित) उम्मीदवार से वसूल किया जावेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकतम 03 वर्ष की अवधि तक प्रशिक्षणार्थियों को शासन/ राज्य स्वास्थ्य समिति / जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन सीधे नियमित / संविदा नियुक्ति के लिये विचार /

(Consider) में लिया जायेगा । इस अवधि के उपरांत इन्हीं नियुक्तियों मे किसी प्राथमिकता का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

1.7प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी / गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने के स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया हैं तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जायेगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/ संचालक (नर्सिंग), परिवार कल्याण का निर्णय अंतिम होगा ।

1.8चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को:-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा । यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने **(Interpretation)** से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

1.9नियम/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम / प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

1.10प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्ते एवं नियम:-

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरांत परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट - **"ब"** में दिये गये है ।

1.11प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरांत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान:-

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सफतलापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप इन्हीं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कही भी यदि नियुक्ति प्रदान की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य होगा । अन्यथा बॉन्ड राशि के वसूली के कार्यवाही की जावेगी । प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्ते यथावत रहेगी ।

परिशिष्ट- अ

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वीकृत सीटों (220 सीट) के अनुसार, वर्गवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	100%	अनारक्षित				अनु. जा. (16%)			अनु. ज. जा. (20%)			अन्य पिछ्डा वर्ग. (27%)		
				75%	25%	10%	16%	75%	25%	20%	75%	25%	27%	75%	25%
		कुल	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्य कर्ता	EWS	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्य कर्ता	कुल	खुली प्रति योगिता	आशा कार्य कर्ता	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्य कर्ता
1	बैतूल	**30**	**8**	**6**	**2**	**3**	**5**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**
2	सीहोर	**30**	**8**	**6**	**2**	**3**	**5**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**
3	धार	**30**	**8**	**6**	**2**	**3**	**5**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**
4	बुरहानपुर	**20**	**6**	**4**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**4**	**3**	**1**	**5**	**4**	**1**
5	शिवपुरी	**30**	**8**	**6**	**2**	**3**	**5**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**
6	मंडला	**30**	**8**	**6**	**2**	**3**	**5**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**
7	शहडोल	**30**	**8**	**6**	**2**	**3**	**5**	**4**	**1**	**6**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**
8	पन्ना	**20**	**6**	**4**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**4**	**3**	**1**	**5**	**4**	**1**
	कुल	**220**	**60**	**44**	**16**	**22**	**36**	**28**	**8**	**44**	**30**	**14**	**58**	**44**	**14**

नोट:-1. अन्य पिछ्डा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।

2. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु पी.ई.बी. द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक ही प्रश्न पत्र जो कि 10+2 बारहवीं कक्षा पेटर्न के समतुल्य तैयार किया जावें।

परिशिष्ट- ब

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होगी ।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भाधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी ।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रतिवर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा ।
5. प्रशिक्षणार्थी को डयूटी के समय गणवेश पहनना अनिवार्य होगा ।
6. छात्राओं को कार्य (डयूटी समय) पर होते हुये रिश्तेदारों से मिलने की अनुमित नहीं दी जायेगी ।
7. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है ।
8. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमित दी जावेगी।
9. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी । प्रशिक्षणार्थी को दो वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी ।
10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बडे त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमित दी जा सकेगी । परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थि की धार्मिक भावनाओं के परिपेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुये आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुन: संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा ।
12. छात्राओं बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य हैं ।
13. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र मे स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं हैं।
14. उपरोक्त निर्देशों / शर्तो का कडाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुऐ प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा ।
16. प्रशिक्षण उपरांत उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन के अधीन 3 वर्ष तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु छात्राओं को 10,000/- (दस हजार रूपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है ।
17. प्रशिक्षणार्थियों को चयन उपरांत तीन माह पश्चात पी.टी.एस. परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
18. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन होने पर निर्धारित दिनॉक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा ।
19. आवंटन के पश्चात प्रशिक्षण में उपस्थिति होने के उपरांत अवकाश पर जाने के पूर्व चिकित्सा प्रमाण पत्र या अवकाश आवेदन स्वीकृत कराना होगा ।
20. 10 दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थित को अनुशासनहीनता माना जावेगा । 10 दिन से अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थित की स्थिति में प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।**

(iii) **पदों/सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iv) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे**

2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनाक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनाक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

नोट :- विभागीय नियमानुसार (स्पष्टीकरण – 4) केवल ए.एन.एम. (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) का पद मैदानी होने के कारण सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग म0प्र0 का राजपत्र दिनाँक 20/12/2019 के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (लोकोमेटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडित मस्कुलरडिस्ट्राफी) प्रवेश हेतु पात्र होंगें इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें |

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पी.ई.बी. वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी |

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)**/ यू.एफ.एम. (**UFM**) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करनाचा उस स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) परररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-10** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.17 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-10** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** / आधार VID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

PEB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID complain.peb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
09.01.2021	23.01.2021	**15**	09.01.2021	28.01.2021	**20**

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	**15.02.2021 & 16.02.2021**	**सोमवार एवं मंगलवार**	**02 घंटे**	प्रात: 09:00 से **11**:00 तक	**15**0
2	द्वितीय				दोपहर 02:00 से 0**4**:00 तक	**15**0

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	**400**/-	**200**/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5. उज्जैन	6. सागर	7. सतना	8. दमोह

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

(i) अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थीअपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है। अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा |

(xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय-3

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

अ. सामान्य ज्ञान- मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियॉ, प्रमुख अभ्यारण एवं राष्टीय उघान प्रमुख नदियॉ, प्रमुख सिंचाई योजनायें, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफायें समाधि व मकबरे (इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व (राजनीतिक, खिलाडी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकाल, समाजसेवी (इत्यादि)।

ब. विज्ञान - १२ वीं परीक्षा पेटर्न के आधार पर निम्न विषय अनुसार :-

१ ब्रहाण्ड

२ मापन- समय,ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन।

३ पदार्थ- पदार्थ की अवस्थायें, पदार्थ के गुण, पदार्थो की पृथक्करण की विधियॉ, धातु-अधातु, अणु-परमाणु, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण।

४ भोजन एवं स्वास्थ्य - भोजन के स्त्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थो का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य।

५ सजीव जगत - वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रियाएँ, अनुकूलन जैव उत्पत्ति।

६ बल, गति एवं दाब।

७ कार्य उर्जा एवं मशीन ।

८ ताप एवं उष्मा ।

९ हमारे आस-पास का वातावरण - भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन - अपररूप, हाईडोकार्बन ।

१० प्राकृतिक घटनाएँ - प्रकाश, ध्वनि।

११ वस्तुऐं कैसे काम करती है - चुम्बक, विघुत एवं विघुत धारा ।

१२ प्राकृतिक संसाधन ।

१३ खाघ उत्पादन एवं प्रबंधन।

१४ पर्यावरण।

१५ विज्ञान के उद्देश्य।

१६ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।

१७ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों कोर सिद्धान्तों से अवगत कराना।

पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र का स्तर : **10+2 पद्धति से 12वी कक्षा**

स.क्र.	विषय	कुल प्रश्न	कुल अंक
1.	सामान्य ज्ञान	**50**	**50**
2.	विज्ञान	**100**	**100**
कुल		**150**	**150**

<u>अध्याय-4</u>

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र-1:

उम्मीद्वार के पिता/ माता/ वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिये)

नाम	: ....
पिता का नाम	: ....
जाति/जनजाति(अनुसूची का क्रमांक) नाम	: ....
धर्म	: ....
व्यवसाय	: ....
पता	: ....
	....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूं कि :-

१. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१/३४२ के अन्तर्गत जिला .... के लिये घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ ।

अथवा

२. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ....जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया हैं। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/ विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी:- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

प्रपत्र-२ :

उम्मीद्वार के पिता/ माता/ वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .... जिला .... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण-पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पिता/पति का नाम ....निवासी ग्राम/नगर .... वि.खं .... तहसील ....जिला.................................संभाग.................................. जाति/ जनजाति .... का/की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम १९७६ के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित हैं, अत: श्री/श्रीमती/कुमारी................................ पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/जनजाति का /की हैं।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .... है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक ....

(सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ हैं संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(२) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे, (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्टेट,/ सिटी मजिस्टेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/ अधिकारी वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना.

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीद्वार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र-३ :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछडी जाति (क्रीमोलयर को छोडकर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप: नियम १.२.२ देखें

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ....
आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....
जिला /संभाग...मध्यप्रदेश के निवासी है जो .... जाति ....
के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- ५/पच्चीस/४/८४, दिनांक २६ दिसम्बर १९८४ द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यत: मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पिता का नाम) क्रीमोलयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों /वर्गो की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक ३६०/२/२२/९३ स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक ८-९-९३ द्वारा जारी सूची के कालम-३ में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-७-१६/२०००/१ आ. प्र. दिनांक ६ जुलाई २००० की अनुसूची अनुक्रमांक ६ आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक ....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम (सील)

प्रपत्र-४ :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीद्वार का नाम) ....

श्री/कुमारी .... के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक .... **(कार्यालय सील)**

प्रपत्र- ५ :

आदिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... आत्मजा पत्नी श्री .... ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या .... (संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया हैं।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान:-

दिनांक .... **(कार्यालय सील)**

प्रपत्र- ६ :

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती .... जो तहसील .... जिला .... मध्यप्रदेश का निवासी हैं, क्योंकि वह

(१) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(२) वह/उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम १५ वर्षो से रह रहा/रही है।

अथवा

(३) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(४) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पॉच वर्षो से कोई अचल संपत्ति उघोग अथवा व्यवसाय रखते है। इसके अतिरिक्त -

(१) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(२) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्रणाली शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं।

(क) १०+२ प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान:-..

दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी:- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र- ७ :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... श्री / श्रीमती .... का / की / पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में .... पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) की हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

....

कार्यालय प्रमुख/ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र- ८ :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... श्री/ श्रीमती .... का / की / पुत्री है जो दिनांक १ जनवरी २०१० को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/ सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान:-...

दिनांक .... **(कार्यालयीन सील)**

--

प्रपत्र- ९ :
मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... श्री / श्रीमती... का/ की / पुत्री हैं, जो ....योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन / मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापना योजना **(Resettlement Scheme)** है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान:-..

दिनांक .... **(कार्यालयीन सील)**

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4" x 5" cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzth dk y/kq gLrk{kj ekU; ugha gksxs A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3